



## कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर(छ0ग0)

दूरभाष :- 07781-252288, फ़ैक्स 07781-252287 Email: zp-narayanpur.cg@nic.in

// नीलामी सूचना //

क्रमांक / 2518 / जि0पं0 / लेखा0 / 2020-21


नारायणपुर, दिनांक : 12/06/2020

सर्व जन साधारण को सूचित किया जाता है कि सूची में उल्लेखित जिला पंचायत नारायणपुर के निष्प्रयोजित घोषित चालू हालत शासकीय वाहन की नीलामी खुली बोली पद्धति से निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 22/06/2020 को पूर्वान्ह 12.00 बजे किया जाना है।

क्र	विभाग का नाम	वाहन क्रमांक	वाहन का मॉडल	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	नीलामी स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	जिला पंचायत नारायणपुर	CG-02 4955	2012 एम्बेसडर	35000/-	कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर

### --: विज्ञापित की शर्तें :-

1. नीलामी में उच्चतम बोली कर्ता द्वारा लगाई गई बोली की राशि स्वीकृति करने पर तभी विचार किया जायेगा, जब उच्चतम बोली की राशि न्यूनतम निर्धारित मूल्य रुपये 35000/- (पैंतिस हजार मात्र) से अधिक होगी। नीलामी की बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता का होगा।
2. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् उच्चतम बोली कर्ता को सम्बंधित कार्यालय से वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उठाना होगा।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन की राशि एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त चैक/नगद के माध्यम से इस कार्यालय के लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् ही वाहन दिया जावेगा।
4. उच्चतम बोली कर्ता के द्वारा नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त राशि चैक/नगद के माध्यम से जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर, दूसरे व तीसरे उच्चतम बोली कर्ता को वाहन क्रेता माना लिया जायेगा।
5. नीलामी में अभिरुचि रखने वाले को रुपये 2500.00 नगद राशि अमानत के बतौर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् ही नीलामी बोली में भाग लेने हेतु पात्र होगा। अमानत राशि जमा करने वाला स्वयं अथवा उसकी ओर से विधिवत् अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी की बोली लगाने में भाग ले सकता है, अन्य व्यक्ति द्वारा लगाई बोली कार्यालय द्वारा अमान्य की जावेगी।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन का पंजीयन व अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्बंधित उच्चतम बोली कर्ता को कराना होगा।
7. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. नीलामी में बोली लगाने वाले अस्वीकृत कर्ता की जमा अमानत राशि को वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
9. नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने वाले वाहन के उच्चतम बोली की स्वीकृति राशि पर 4 प्रतिशत विक्रय कर लगाया जायेगा।


  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत-नारायणपुर

PMO

पृ०क०/2519/जि०पं०/लेखा०/2020-21  
प्रतिलिपि:-

नारायणपुर, दिनांक : 12/05/2020

1. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर जिला-नारायणपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. उप-संचालक जनसम्पर्क, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी) जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि कलेक्टर, जिला-नारायणपुर की वेबसाइट [narayanpur.gov.in](http://narayanpur.gov.in) एवं जिला पंचायत, नारायणपुर की वेबसाइट [zilapanchayat.com](http://zilapanchayat.com) व राज्य स्तरीय वेबसाइट में नीलामी की नियम एवं शर्तें अपलोड करने हेतु ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत-नारायणपुर